केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016

Fax: 26514179 फोन **TEL: 26858570**

website:www.kvsangathan.nic.in

एफ० 11029-9/2014-केविसं(मु०)(प्रशा०-1)/4067 दिनांक 18-02-2016

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय

विषय:- राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी हलफनामा/ शपथपत्र एवं अनुप्रमाणन की व्यवस्था को समाप्त करने और उसके स्थान पर स्वतः अनुप्रमाणन की व्यवस्था केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अपनाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

पंजाब सरकार के दिनांक 10.03.2010 के ज्ञापन संख्या 3/7/2010 प्रशि०(3)/1007 के साथ पठित कार्मिक/जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अर्धशासकीय पत्र संख्या के -11022/67/2012- एआर, दिनांक 17.07.2014 के अनुसरण में केविसं में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है :-

1. विद्यालयों में प्रवेश प्रदान के दौरान राजपत्रित अधिकारी/ किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन के बजाय बच्चे के माता-पिता/ उनके विधिक अभिभावक द्वारा स्वतः अनुप्रमाणित प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जाना चाहिए।
2. केविसं में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से उनके सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्रों की फोटोप्रतियाँ किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन के स्थान पर स्वतः प्रमाणित फोटोप्रतियाँ स्वीकार की जाएं।
3. जन्म प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों की स्वतः अनुप्रमाणित फोटोप्रतियों का सत्यापन/ प्रमाणीकरण मूल दस्तावेजों से किया जाना आवश्यक है और उन सभी प्रमाण-पत्रों को रिकॉर्ड s में रखने से पहले प्रधानाचार्य / कार्यालय प्रमुख द्वारा दस्तावेजों की फोटोप्रतियों के सत्यापन संबंधी आशय का एक प्रमाण-पत्र रिकॉर्ड में अवश्य दर्ज किया जाए।

अनुरोध है कि इन निर्देशों को अपने अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में परिचालित करें ताकि इसकी जानकारी सभी कर्मियों को प्राप्त हो सके। साथ ही उन सभी से इसकी पावती भी प्राप्त कर लें। इन निर्देशों का अनुपालन सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा सख्ती से किया जाए।

(डॉ०ई०प्रभाकर)
संयुक्त आयुक्त(कार्मिक)

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, यूटी-2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र संख्या एफ 17-144/2015-यूटी-2, दिनांक 23.10.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. केविसं(मु०) के सभी अधिकारियों/अनुभागों को सूचनार्थ।
3. निदेशक, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान मुंबई, ग्वालियर, मैसूर, चंडीगढ़ एवं भुवनेश्वर।
4. प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, मास्को/काठमाण्डू/तेहरान।
5. महासचिव, एआईकेवीटीए/केविनटसा/केवीपीएसएस।
6. उपायुक्त(ईडीपी) को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)